रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 126] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 21, 2019/फाल्गुन 2, 1940
No. 126] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 21, 2019/PHALGUNA 2, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 फ़रवरी, 2019

सा.का.नि. 142(अ)—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण (केंद्रीय सेवा समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 1963, को जहाँ तक उनका संबंध वरिष्ठ प्राणिविज्ञान सहायक और भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण (प्राणिविज्ञान सहायक-समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 1990, को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण में वरिष्ठ प्राणिविज्ञान सहायक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण (वरिष्ठ प्राणिविज्ञान सहायक), समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2019 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.-** पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अहर्ताएं, आदि.-** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अहर्ताएं और उससे संबंधित अन्य बातें होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.-** वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने, अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.-** जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन पद है या गैर-चयन पद	सीधे भर्ती होने वाले के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती के माध्यम से नियुक्ति किए जाने वाले के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अहर्ताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
वरिष्ठ प्राणिविज्ञान सहायक।	132* (2019) * कार्यभार के आधार पर भिन्नता के अध्यधीन।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6.	चयन	30 वर्ष से अनधिक **टिप्पण-1**:- (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। **टिप्पण-1:-** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से आवेदनपत्रों को प्राप्त करने के लिए अंतिम तारीख होगी। (और न कि असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम,	**आवश्यक :-** (i) किसी एक मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से प्राणिविज्ञान में स्नातकोत्तर की डिग्री; **वांछनीय :-** (i) अंग्रेजी सहित आधुनिक यूरोपीय भाषा में कार्य करने का ज्ञान। (ii) वैज्ञानिक पांडुलिपियों को बनाना, प्रेस के लिए तैयार करना, प्रूफ पाठन इत्यादि में अनुभव। (iii) किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थान/विश्वविद्यालय से न्यूनतम कंम्प्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा (डीसीए) सहित कंम्प्यूटर का ज्ञान। **टिप्पण -1**:- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध

					जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित की गई अंतिम तारीख)।	किए जाए, कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण-2:-** अनुभव संबधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए, कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

क्या सीधे भर्ती होने वालों के लिए निर्धारित आयु तथा योग्यताएं पदोन्नति पाने वालों के मामलों में भी लागू होगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की विधि, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा है तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे वेतन मैट्रिक्स में स्तर जिससे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने के लिए किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
आयु-: नहीं **शैक्षणिक अहर्ताएं:** नहीं, किंतु एक मान्यता प्राप्त	सीधी भर्ती एवं पदोन्नति हुए व्यक्ति के लिए दो वर्ष।	(क) 15 प्रतिशत प्रोन्नत व्यक्तियों द्वारा जिसके न हो सकने पर (अल्पकालीन संविदा सहित) प्रतिनियुक्ति द्वारा।	**प्रोन्नति:** वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 में ऐसे विभागीय कनिष्ठ प्राणिविज्ञान सहायक जिन्होंने उस पद में छः वर्ष की नियमित सेवा की है और प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा सुसंगत क्षेत्र में की गई दो से चार सप्ताह का अनिवार्य	**विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) होंगे:-** (क) निदेशक, भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण - अध्यक्ष;	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

विश्वविद्यालय या शिक्षा संस्थान से कम से कम एक विषय के रूप में प्राणि विज्ञान सहित विज्ञान में स्नातक डिग्री होना चाहिए।		(ख) 85 प्रतिशत कर्मचारी चयन आयोग से सीधी भर्ती द्वारा।	प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो । **टिप्पण.-** जहां ऐसे कनिष्ठों, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम ना हो और उन्होंने अगले उच्चतर स्तर में प्रोन्नति हेतू उनके कनिष्ठों, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, सहित परीवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार /संघ राज्यक्षेत्र/कानूनी/स्वायत्त संगठन/ पब्लिक सेक्टर उपक्रम/विश्वविद्यालय/ मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारी:- (क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद को धारण कर रहे हैं; या (ii) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर -5 या समतुल्य में छः वर्ष की नियमित सेवा की हो; और । (ख) स्तंभ 7 के अधीन सीधी भर्ती होने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अहर्ताएं तथा अनुभव रखते हों। **टिप्पण-1**:- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में है	(ख) वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी/वित्तीय अधिकारी/वैज्ञानिक 'एफ'/ वैज्ञानिक 'ई'/ वैज्ञानिक 'डी'/ वैज्ञानिक 'सी'/ वैज्ञानिक 'बी' जिसको मुख्यालय का कार्यालय प्रधान की प्रत्यायोजित शक्ति प्राप्त हो, भारतीय वनस्पति-विज्ञान सर्वेक्षण – सदस्य; (ग) वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी/भण्डार अधिकारी/वैज्ञानिक 'एफ'/ वैज्ञानिक 'ई'/ वैज्ञानिक 'डी'/ वैज्ञानिक 'सी'/ वैज्ञानिक 'बी' जिसको मुख्यालय का कार्यालय प्रधान की प्रत्यायोजित शक्तियाँ प्राप्त हो, भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण- सदस्य। विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) होंगे:- (क) निदेशक, भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण - अध्यक्ष; (ख) वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी/वित्तीय अधिकारी/वैज्ञानिक 'एफ'/ वैज्ञानिक 'ई'/ वैज्ञानिक 'डी'/ वैज्ञानिक 'सी'/ वैज्ञानिक 'बी' जिसको मुख्यालय का कार्यालय	

			प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। उसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण-2:-** प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण-3:-** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	प्रधान की प्रत्यायोजित शक्तियाँ प्राप्त हो, भारतीय वनस्पति-विज्ञान सर्वेक्षण – सदस्य; (ग) वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी/भण्डार अधिकारी/वैज्ञानिक 'एफ'/ वैज्ञानिक 'ई'/ वैज्ञानिक 'डी'/ वैज्ञानिक 'सी'/ वैज्ञानिक 'बी' जिसको मुख्यालय का कार्यालय प्रधान की प्रत्यायोजित शक्तियाँ प्राप्त हो, भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण- सदस्य।	

[फा. सं. 02/09/2012-सीएसजेड]

मंजु पाण्डे, संयुक्त सचिव (संरक्षण एवं सर्वेक्षण)

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th February, 2019

G.S.R. 142(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Zoological Survey of India (Central Service Class-III posts) Recruitment Rules, 1963, in so far they relate to the post of Senior Zoological Assistant and the Zoological Survey of India (Zoological Assistant-Group 'C') Recruitment Rules, 1990, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Zoological Assistant in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Zoological Survey of India, namely:-

1. **Short title and commencement. –** (1) These rules may be called the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Zoological Survey of India, Senior Zoological Assistant, Group 'B' Post Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.–**The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc. –** The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification .-** No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living , has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax. –** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving –** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Senior Zoological Assistant.	132* (2019) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 in the pay matrix.	Selection.	Not exceeding 30 years **Note.1-** Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note. 2**- The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipts of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and and Nicobar Islands or Lakshwadweep.).	**Essential:-** M. Sc. degree in Zoology from a recognised University. **Desirable:-** (i) Working knowledge of a modern European language in addition to English. (ii) Experience of making scientific manuscripts press-ready, proof-reading, etc. (iii) Knowledge of computer with atleast Diploma in Computer Applications (DCA) from a recognised Board or University. **Note 1:-** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority for the reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:-** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority for the reasons to be recorded in writing in the

						case of candidates belonging to the Schedule Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, levels in pay matrix from which promotion or deputation / absorption to be made.	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Age: No. **Educational Qualification:** - No, but must possess at least degree in B.Sc. with Zoology as one of the subject from a recognised University or Institute.	Two years for direct recruits and promotees.	Fifteen percent. by promotion failing which by deputation (including short-term contract); and eighty-five percent. by direct recruitment through Staff Selection Commission.	Promotion from the post of Junior Zoological Assistant in level-5 with six years' service rendered in the level after appointment thereto on regular basis and having successfully undergone mandatory training of 2-4 weeks in relevant field or area to be specified by the administrative Ministry. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed	**Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-** 1. Director, Zoological Survey of India - Chairman; 2. Senior Administrative Officer or Administrative Officer or Financial Officer or Scientist 'F' or Scientist 'E' or Scientist 'D' or Scientist 'C' or Scientist 'B' who is delegated the power of Head of Office in respect of Headquarters Office, Botanical Survey of India - Member; 3. Senior Administrative Officer or Administrative Officer or Stores Officer or Scientist 'F' or Scientist 'E' or Scientist 'D' or Scientist 'C' or Scientist 'B' who is delegated the power of Head of Office in respect of Headquarters Office,	Consultation with Union Public Service Commission not necessary

			probation period to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualification or eligibility service. Deputation(including short-term contract) Officers of the Central or State Governments or Union territories or Universities or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Statutory or Autonomous Organisations,- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-5 (Rs. 29,200-92,300/-) or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the educational qualification and experience prescribed for direct recruits under column (7). **Note1.** - The Departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation, and similarly, the deputationist shall not be eligible for appointment by promotion. **Note 2.** - Period of deputation (including short-term contract)	Zoological Survey of India - Member. **Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-** 1. Director, Zoological Survey of India - Chairman; 2. Senior Administrative Officer or Administrative Officer or Financial Officer or Scientist 'F' or Scientist 'E' or Scientist 'D' or Scientist 'C' or Scientist 'B' who is delegated the power of Head of Office in respect of Headquarters Office, Botanical Survey of India - Member; 3. Senior Administrative. Officer or Administrative Officer or Stores Officer or Scientist 'F' or Scientist 'E' or Scientist 'D' or Scientist 'C' or Scientist 'B' who is delegated the power of Head of Office in respect of Headquarters Office, Zoological Survey of India - Member.	

			including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3. -** The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. 02/09/2012-CSZ]

MANJU PANDEY, Jt. Secy. (Conservation & Survey)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.02.23 14:11:07 +05'30'